कृतिका

भाग 1

कक्षा 9 'अ' पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत

की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) द्वारा नामित श्री अशोक वाजपेयी और प्रोफ़ेसर सत्यप्रकाश मिश्र को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, *पूर्व अध्यक्ष,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, *प्रोफ़ेसर,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, *प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष,* भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

सदस्य समन्वयक

चंद्रा सदायत, *रीडर*, भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

आभार

इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए परिषद् निगरानी समिति द्वारा नामित अशोक वाजपेयी और सत्यप्रकाश मिश्र की आभारी है। पुस्तक के विकास में अकादमिक सहयोग के लिए शारदा कुमारी, प्रवक्ता डाइट, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली तथा अनुराधा, पी.जी.टी. (हिंदी), सरदार पटेल विद्यालय, लोदी एस्टेट, नयी दिल्ली के प्रति आभार व्यक्त करती है।

जिन लेखकों और कवियों की रचनाओं को इस पुस्तक में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्राप्त हुई है उनमें फणीश्वरनाथ रेणु की रचना **इस जल प्रलय में** के लिए पद्म पराग रेणु, शमशेर बहादुर सिंह की रचना **किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया** के लिए रंजना अरगड़े, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी **रीढ़ की हड्डी** के लिए ललित माथुर एवं **मेरे संग की औरतें** के लिए मृदुला गर्ग तथा **माटी वाली** कहानी के लिए विद्यासागर नौटियाल के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

पुस्तक निर्माण संबंधी कार्यों में तकनीकी सहयोग के लिए परिषद् *कंप्यूटर स्टेशन इंचार्ज* (भाषा विभाग) परशराम कौशिक; *डी.टी.पी. ऑपरेटर* सचिन कुमार और अरविंद शर्मा; *कॉपी एडीटर* सुप्रिया गुप्ता, वरुणा मित्तल और प्रमोद तिवारी की आभारी है।

भूमिका

माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम बनाते समय यह सोचा गया कि इस स्तर पर विद्यार्थियों में विकसित होती हुई साहित्यिक एवं भाषिक अभिरुचि को सुदृढ़ बनाने के लिए पूरक पाठ्यपुस्तक के रूप में विभिन्न साहित्यिक विधाओं का एक ऐसा संकलन तैयार किया जाए जिसे वे स्वयं पढ़कर समझ सकें। पढ़ने की गति को तेज़ करने में पूरक पाठ्यपुस्तकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए ज़रूरी है कि चयनित पाठ्यसामग्री में स्तरानुकूलता, रोचकता और विविधता के साथ ही एक नयापन हो जो उन्हें स्वअध्ययन के लिए प्रेरित करे।

प्रस्तुत पुस्तक में विषयवस्तु की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विधा, शैली एवं प्रस्तुति की दृष्टि से भी आकर्षित करने वाली पाँच गद्य रचनाएँ संकलित की गई हैं। कहानी को छोड़कर बाकी रचनाएँ अपेक्षाकृत लंबी हैं जो आज के तेज़ रफ़्तार वाले जीवन में धैर्यपूर्वक पढ़ने की आदत विकसित करेंगी।

हर पाठ के अंत में कुछ प्रश्न-अभ्यास दिए गए हैं जो विद्यार्थियों को पाठ से गहराई से जुड़ने का मौका देंगे।

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ संकलित रचनाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है–

इस जल प्रलय में **ऋणजल-धनजल** नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्ताज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है **इस जल प्रलय में**। इस पाठ में उन्होंने सन् 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता

और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने **ऋणजल-धनजल** पुस्तक में **कुत्ते की आवाज़** शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर **साक्ष्य** पत्रिका के 'नदियों की आग' विशेषांक में **इस जल प्रलय में** शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है।

मेरे संग की औरतें यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है।

रीढ़ की हड्डी इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है।

माटी वाली इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है।

किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया नयी और विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई यह ललित गद्य रचना हमें शमशेर के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों से तो परिचित कराती ही है, कवि हरिवंशराय बच्चन की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी दर्शाती है। अनौपचारिकता और आत्मीयता की खुशबू के साथ इसमें उर्दू गद्य-शैली का स्वाद भी है।

आशा है विद्यार्थी बिना बोझ का अनुभव किए आनंद के साथ इस पुस्तक को पढ़ेंगे। उनमें सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होगा तथा वे संकलित लेखकों की अन्य महत्त्वपूर्ण कृतियों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित होंगे।

विषय-सूची

आमुख *iii*

भूमिका *vii*

1. इस जल प्रलय में
   फणीश्वरनाथ रेणु 1

2. मेरे संग की औरतें
   मृदुला गर्ग 13

3. रीढ़ की हड्डी
   जगदीश चंद्र माथुर 27

4. माटी वाली
   विद्यासागर नौटियाल 42

5. किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया
   शमशेर बहादुर सिंह 49

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सबमें** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**